कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर हनुमानगढ

प्रकरण संख्या 07/2019 सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत

श्री सुनील सिंह पुत्र श्री मंगत सिंह जाति रायसिख निवासी
वार्ड नं. 14 डबलीबास मौलवी तहसील व जिला हनुमानगढ।

––अपीलार्थी

बनाम

उपतहसीलदार (राजस्व), डबलीराठान।

––प्रत्यार्थी

आदेश दिनांकः–04.04.2019

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उपतहसीलदार (राजस्व), डबलीराठान के विरूद्ध प्राप्त हुई।

अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी के अपील में अंकित तथ्यो के अनुसार आवेदन पत्र दिनांक 02.01.2019 द्वारा उप–तहसीलदार (राजस्व), डबलीराठान से सूचना चाही गई। उप–तहसीलदार (राजस्व), डबलीराठान द्वारा रेकार्ड के बारे में प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है। अपीलार्थी द्वारा सूचना दिलवाने हेतु यह अपील की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उप–तहसीलदार (राजस्व), डबलीराठान से पत्र क्रमांक 67 दिनांक 12.03.2019 द्वारा प्राप्त जबाव का अवलोकन करने से उनके द्वारा पत्र क्रमांक 10 दिनांक 07.01.2019 से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपीलार्थी के आवेदन पत्र को लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति पीलीबंगा को अन्तरित करते हुए जिसकी सूचना अपीलार्थी को प्रेषित किया जाना पाया गया है। लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति पीलीबंगा द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना उपलब्ध नही करवाये जाने पर लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति पीलीबंगा के विरूद्ध सक्षम लोक सूचना अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील करने के लिए अपीलार्थी स्वतंत्र है। अपीलार्थी को इस अपील में कोई अनुतोष नही दिया जा सकता है। उक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति दोनो पक्षो को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official